न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2017/00257

सिविल प्रकरण संख्याः– 24/2017 तारीख रजू 20.04.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन निवासी 174 एम.पी. कालोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर (फर्म मालिक)– मैसर्स रतन लाल जैन एण्ड संस फतेह लाल पट्रोल पम्प के सामने, बजरिया, सवाई माधोपुर ।
2. रवि कुमार खण्डेलवाल पुत्र गुलजारी लाल खण्डेलवाल (फर्म मालिक) निवासी प्लॉट नं0 12 बी कन्हैयालाल नर्सरी बादानापुरा जयपुर मैसर्स–खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं0 14/225 रामाकृष्णा मार्केट खंदा चतुर्भुज जी का, छोटी चोपड जयपुर राज0 (रिपेकर फर्म)।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक **14.01.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 08.07.2016 को समय 12.30 पी.एम. पर मैसर्स–रतन लाल जैन एण्ड संस फतेह लाल पेट्रोल पम्प के सामने बजरिया, सवाईमाधोपुर पहुंचा। वहां पर दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन निवासी 174 एम0पी0 कोलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) उपस्थित था, को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया। एवं विक्रेता से परिचय लिया, एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Sanuf (Vinayak Brand)** 500 ग्राम के लगभग 25 पैकिट्स एक कटटे में दुकान में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति गवाहों की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। आवेदक द्वारा खाद्य पद[illegible] **Sanuf (Vinayak Brand)** 500 ग्राम के 4 पौली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि [illegible] नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थि[illegible] एवं तस्दीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Sanuf (Vinayak Brand)** 500 ग्राम के 4 पौली पैक को प्रत्येक को प्लास्टिक के जारो रखकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर के प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-962** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता दिनेश कुमार जैन पुत्र रतनलाल जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील [illegible] जिससे मौके पर नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म सं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में [illegible] द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग-अलग रसीद प्राप्त की। दो सील[illegible] मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर [illegible] अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधो[illegible] रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2016/2402 दिनांक 07/0[illegible]/2016 के [illegible] ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस 2154/एक्ट/201[illegible]/2062 दिनांक 26/08/2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Sanuf (Vinayak Brand)** 500 ग्राम मिसब्राण्ड पाया गया है।

आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत मैसर्स रतन लाल जैन एण्ड संस फतेह लाल पेट्रोल पम्प के सामने बजरिया सवाई माधोपुर को खाद्य अनुज्ञापत्र एवं क्रय बिल हेतु पत्र लिखा। मैसर्स रतन लाल जैन एण्ड संस फतेह पेट्रोल पम्प के सामने बजरिया सवाई माधोपुर का प्रत्युत्तर मय खाद्य अनुज्ञापत्र, ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति एवं क्रय बिल पेश किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान बाबत मैसर्स खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी जयपुर को खाद्य अनुज्ञापत्र/वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन एवं क्रय बिल हेतु पत्र लिखा। आवेदक द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी जयपुर को फर्म मालिक/नोमिनी/भागीदार की सूचना हेतु पत्र लिखा। वाणिज्य कर अधिकारी जयपुर का प्रत्युत्तर मय फर्म का वाणिज्य कर रजिस्ट्रेशन की प्रति प्राप्त हुई।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/841 दिनांक 22.03.2017 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Sanuf (Vinayak Brand)** 500 ग्राम का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं प्रकरण में जवाब पेश किया। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा प्रकरण में नोटिस लेने से इंकार करने पर अभियुक्त संख्या 2 की तामील मानी जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभियुक्त संख्या 2 के उपस्थित नहीं होने पर अभियुक्त संख्या 2 की अनुपस्थिति में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Sanuf (Vinayak Brand)** 500 ग्राम का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त संख्या 1 ने बहस में तर्क दिया है कि आवेदक की खाद्य सुरक्षा अधिकारी की आवश्यक योग्यता नहीं थी इसलिए उनके द्वारा की गई समस्त कार्यवाही अनाधिकृत होने के कारण प्रकरण चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी रिटेलर है प्रार्थी ने निमार्ता फर्म से विहित लाइसेंस धारी होने तथा विहित बिल से पेक्ड माल खरीद किया प्रार्थी ने किसी भी प्रकार की कोई मिलावट या पैकिंग नमूना लिये गये माल की नहीं की। प्रार्थी छोटा व्यापारी है बिल लेकर पेक्ड माल बेचने का कार्य करता है। आवेदक ने समस्त नियमों की अनदेखी कर प्रकरण बनाने का प्रयास किया है प्रार्थी प्रकरण में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। अन्त में अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस 2154/एक्ट/2016/2962 दिनांक 26/08/2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Sanuf (Vinayak Brand)** 500 ग्राम मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है जोकि जांच रिपोर्ट के अनुसार बैच नं., उत्पादन निर्माण तिथि नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के नियम 2.2.2 (8) एवं 2.2.2 (9) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड आया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार आवेदक श्री वेदप्रकाश पूर्विया को राजस्थान राज–पत्र विशेषांक (RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary) दिनांक 26.07.2011 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है एवं निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मु0चि0स्वा0अ0 सवाई माधोपुर के पद पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

गया है। आवेदक सेम्पल लेने की दिनांक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थापित था। आवेदक द्वारा सेम्पल की कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में सम्पादित की गई है। अतः अभियुक्त सं0 1 के बहस में दिये तर्क सही साबित नहीं होते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Sanuf (Vinayak Brand)** 500 ग्राम का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **14.01.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested